

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

S. D. O. पुरोहा

मुकाम पुरोहा

उमेश चन्द

वनाम जयना (पुत्र)

अपना पत्र 212 R.J.A.4

नं० 68 सन्

5/3/14

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल
में जारी हुए

1/14 आज यह पत्रावली जलदावा पत्रावली के लिये प्रेषित हुई। (वकील प्रमोद ठाकुर उपास्थित आप/ वकील प्रमोद की एक पत्रिका पत्रावली हुई। (शान्त दासवेणत का अवलोकन किया गया। प्रमोद ठाकुर का पत्रावली प्रेषित करना है। (उक्ति का अनुष्ठान की प्रमोद ठाकुर के हुक्म के साक्षित प्रतीत है।

आतः अग्रमोद ठाकुर का आदेश दिनांक 09.4.14

वकील प्रमोद ठाकुर का पत्रावली प्रेषित किया गया है। इसके अलावा नं० 722/1.74.759/1.85, 762/0.04.763/0.80, 744/0.46 ई.स. के अंतर्गत प्रेषित किया गया। (शान्त दासवेणत का अवलोकन किया गया। प्रमोद ठाकुर का पत्रावली प्रेषित करना है। (उक्ति का अनुष्ठान की प्रमोद ठाकुर के हुक्म के साक्षित प्रतीत है।

09/4/14

वकील प्रमोद ठाकुर

आज पत्रावली प्रस्तुत हुई। (वकील प्रमोद ठाकुर उपास्थित आप/ वकील प्रमोद की एक पत्रिका पत्रावली हुई। (शान्त दासवेणत का अवलोकन किया गया। प्रमोद ठाकुर का पत्रावली प्रेषित करना है। (उक्ति का अनुष्ठान की प्रमोद ठाकुर के हुक्म के साक्षित प्रतीत है।

18/6/14

10-3-25 आज यह पत्रावली पेश हुई। यह सध नीयराना द्वारा कार्य
स्वगत किये जाने का आपन पेश किया है। पत्रावली पूर्व
आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20-5-25
..... को पेश हो।

रंडर

20-5-25 आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली
में मूल वाड अफ़ा पेश की अफ़ा हाजरी में खारीज
हो चुका है। अतः प्राप्यत इसी स्टेज पर अफ़ा
पेश की अफ़ा हाजरी में खारीज किया जाता है।
पत्रावली केवल शुमार दोकर नम्बर से कम हो।
संलग्न मूल वाड रहे।

उपसंग्रह अधिकारी
नीयराना (कोरुहली-बरोड)